न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/180/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/530

अपीलार्थी

श्री प्रकाश चन्द गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
जाति–महाजन, निवासी–म.नं. 46, बोदन कॉलोनी,
मोहित गार्डन मैरिज होम के पीछे, चोर डूंगरी के सामने,
जयपुर रोड़, अलवर

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 07.12.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 16.01.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 29.10.22 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उचित मूल्य दुकान सं. 15 प्राधिकार–पत्र सं. 564/91 के संबंध में पूर्व प्रस्तुत परिवेदना दिनांकः 08.01.2021 के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार का विनिश्चय नहीं किए जाने के कारण प्रा0पत्र दिनांकः 07.12.2022 के माध्यम से उक्त अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतुं कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. रसद/आरटीआई/2022/3041 दिनांकः 16.12.2022 (मय संलग्नक) के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन, प्रथम अपील प्रा0पत्र एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस का विधिक परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार प्रश्नगत वांछित सूचना के संबंध में उनके पत्रांकः 12237 दिनांकः 18.11.2021 के माध्यम से शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है।
8. यद्यपि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन व अपील के परिप्रेक्ष्य में किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है किन्तु उक्त रिपोर्ट, जवाब के अनुसार अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गई है।
9. अतः प्रश्नगत अपील, **आंशिक स्वीकार** की जाती है। लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन/अद्यतन कार्यवाही, पंजीकृत–पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 16.01.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)